के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त अविभाजित उभयपक्षकारान् की सहखातेदारी भूमि है। तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया जो कि न्यायालय हाजा में जैरकार है। मूल वादपत्र के मुख्य अनुतोष पर गुणावगुण के आधार पर कोई टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के सम्बध में जब तक सहखातेदारान् के हक हिस्सों का कानूनन विभाजन नहीं हो जाता तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि वादग्रस्त आराजी में से किस सहखातेदार का कौनसा भू भाग है तथा साथ ही संयुक्त अविभाजित वादग्रस्त आराजी के प्रत्येक भाग पर प्रत्येक सहखातेदार का हक–हिस्सा निहित होता है। ऐसी दशा में किसी प्रकार का प्रथम दृष्टयां मामला प्रार्थी के पक्ष में स्थापित नहीं होता है।

2. **<u>सुविधा का संतुलन :–</u>** चूंकि पूर्व विवचेन बिन्दु संख्या 01 प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थापित हुआ है साथ ही वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान् की सहखातेदारी भूमि होने के कारण केवल प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन साबित नहीं हो सकता। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध स्थापित होता है।

3. **<u>अपूर्णनीय क्षति :–</u>** चुंकि पूर्वविवेचित दोनो बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध स्थापित हुये है साथ ही प्रार्थी यह साबित करनें में पूर्णतया असफल रहें है कि यदि उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती हैं तो उन्हें किसी प्रकार अपूर्णीय क्षति होना सम्भावित है। जबकि वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान् की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध स्थापित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवचेन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बखूबी साबित नहीं होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

<u>–:: आदेश ::–</u>

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निर्ष्कषतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 25/11/2024 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)